काउन्सिलिंग–2014

संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2014 के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनके द्वारा दिये गये विकल्पों, वरीयताक्रम व आरक्षण के आधार पर आनलाईन काउन्सिलिंग द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु अभ्यर्थी साईबर कैफे, स्वयं के कम्प्यूटर से अथवा परिषद द्वारा विभिन्न जनपदों में स्थापित 68 सहायता केन्द्रों में से किसी पर काउन्सिलिंग प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

प्रक्रिया :–

1. संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2014 के परिणाम घोषित होने के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थी के रिजल्ट प्रिंटआउट में चालान फार्म भी छपा होगा जिसके द्वारा काउन्सिलिंग/प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी इलाहाबाद बैंक की किसी भी शाखा में रू0 405/– (नानरिफण्डेबल) जमा कर सकते हैं। काउन्सिलिंग शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को वर्ष–2014 के समस्त काउन्सिलिंग चरणों हेतु पुनः काउन्सिलिंग फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी काउन्सिलिंग वेबसाईट पर उपलब्ध गत वर्ष की कटआफ मेरिट का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करलें कि उसकी रैंक को निर्धारित शिड्यूल के अनुसार सीट आवंटन की सम्भाव्यता क्या होगी।
3. समस्त अभ्यर्थियों को इलाहाबाद बैंक में काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने के 48 घण्टे बाद अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से jeecup.nic.in पर काउन्सिलिंग शुल्क की स्थिति जांचनी होगी। यदि अभ्यर्थी का शुल्क वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है तो अभ्यर्थी परिषद के हेल्पलाईन नं0 0522–2630099 अथवा बैंक की शाखा से सम्पर्क कर त्रुटि का निराकरण करायेगा।
4. प्रथम काउन्सिलिंग के प्रथम चरण के अभ्यर्थी (ग्रुप–A, ओपेन रैंक 1 से 8000 के मध्य) अपनी काउन्सिलिंग फीस दिनांक 24.06.2014 के पूर्व अवश्य जमा कर अपना फीस स्टेट्स जांच लें। फीस स्टेट्स के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी से उसका मोबाइल नं0 लिया जायेगा ताकि उसे आगे की प्रक्रिया के लिए सूचना दी जा सके।
5. काउन्सिलिंग फीस जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी को jeecup.nic.in पर जाकर अपने न्यूनतम अर्हता व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र अपलोड करने

होंगे। यदि अभ्यर्थी ने आनलाईन आवेदन किया है तो उसे उक्त प्रमाण–पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास आनलाईन आवेदन करते समय न्यूनतम अर्हता प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं था उन्हें अपने प्रमाण–पत्र अपलोड करने होंगे।

6. समस्त अभ्यर्थी अपने अभिलेख अपलोड करने के पश्चात विकल्प चयन तिथि से पूर्व अपने डाक्यूमेंट अपलोड की स्थिति ज्ञात कर यह सुनिश्चित कर लें कि सहायता केन्द्र द्वारा उनके अभिलेखों का सत्यापन कर दिया गया है।
7. यदि पूर्व में अभ्यर्थी का कोई प्रमाण–पत्र गलत अपलोड हो गया है तो सहायता केन्द्र पर केन्द्र प्रभारी द्वारा उस प्रमाण–पत्र को सही करते हुए अपलोड किया जायेगा।
8. यदि अभ्यर्थी के डाटा में कोई त्रुटि है तो अभ्यर्थी किसी भी सहायता केन्द्र पर जाकर आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर त्रुटि सुधार करवा सकता है।
9. अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गये प्रमाण–पत्रों का आनलाइन वेरीफिकेशन जनपद में बनाये गये सहायता केन्द्रों पर किया जायेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी को सहायता केन्द्र पर जाने की आवश्यकता नही है।
10. आनलाइन वेरीफिकेशन के समय अभ्यर्थी के अभिलेख सही पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर एस0एम0एस0 से वन टाइम पासवर्ड (ओ0टी0पी0) पहुँचेगा जिसका प्रयोग कर अभ्यर्थी विकल्प चयन कर सकेगा।
11. आनलाइन वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के अभिलेख त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो अभ्यर्थी को एस0एम0एस0 पहुँचेगा जिससे अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर उक्त सहायता केन्द्र पर पहुँच कर त्रुटि का निराकरण करवा सकता है। अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नहीं माना जायेगा। त्रुटि का निराकरण हो जाने पर अभ्यर्थी को ओ0टी0पी0 प्राप्त हो जायेगा।
12. विकल्प चयन हेतु निर्धारित तिथि तक यदि अभ्यर्थी को ओ0टी0पी0/पिन प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी RESEND OTP/ PIN में जाकर नया पिन प्राप्त कर ले।
13. अभ्यर्थी विकल्पों का चयन निर्धारित तिथियों में कर विकल्प सुरक्षित (save) कर सकेगा एवं निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व विकल्प लॉक करेगा। अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्पों, मेरिट व आरक्षण के आधार पर संस्था/पाठ्यक्रम का

आवंटन किया जायेगा। आवंटन की सूचना अभ्यर्थी काउन्सिलिंग वेबसाईट से स्वयं प्राप्त करेगा।

14. यदि अभ्यर्थी को संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन होता है तो निर्धारित अन्तिम तिथि तक इलाहाबाद बैंक की किसी भी शाखा में रू0 3005/– सिक्योरिटी धनराशि जमा करने के 48 घण्टे के उपरान्त काउन्सिलिंग वेबसाईट से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेगा। प्रवेश न लेने की दशा में रू0 3005/– सिक्योरिटी धनराशि वापस नहीं की जायेगी परन्तु यदि अभ्यर्थी को अगले चरण/काउन्सिलिंग में पुनः सीट का आवंटन होता है तो उसे पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. आवंटन पत्र प्राप्त करने के पश्चात अभ्यर्थी को निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवंटित संस्था में पहुँच कर अपने न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्र तथा निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश सुनिश्चित करना होगा।

16. सीट आवंटित न होने की दशा में अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के अगले समस्त/किसी भी चरण में अथवा द्वितीय काउन्सिलिंग में तब तक भाग ले सकता है जब तक की उसे कोई सीट आवंटित नहीं हो जाती है।

17. प्रथम काउन्सिलिंग से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी वर्तमान सीट को छोड़कर किसी अन्य संस्था/पाठ्यक्रम का चयन करना चाहते हैं, को परिषद की वेबसाईट पर पुनः रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि उनकी सीट को आवंटन की एक विशेष प्रक्रिया एस0ए0सी0 (Seat Against Cancellation) के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों को प्रदर्शित किया जा सके। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी को यदि दिये गये विकल्पों के आधार पर नई सीट आवंटित होती है तो उसे पूर्व में आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी, जिस पर उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

18. प्रवेशित अभ्यर्थी को नई सीट आवंटित न होने की दशा में पूर्व आवंटित सीट बची रहेगी। द्वितीय काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि तक एस0ए0सी0 रजिस्ट्रेशन न करने की स्थिति में प्रवेशित अभ्यर्थी काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा।

19. अनावंटित अभ्यर्थियों को द्वितीय काउन्सिलिंग के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन व काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे निर्धारित शिड्यूल के अनुसार अपनी सीटों का विकल्प भर सकेंगे।